

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- 1387 / 11-सी-FP/UP/Others/35033/2018, लखनऊ, दिनांक: जनवरी 11, 2019

सेता में,

वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

विषय:- जनपद मथुरा में मथुरा-वृन्दावन मार्ग (एग0डी0आर0-123) कि0मी0-5 (चैनेज-4.246) ग्राम अहिल्यागंज बाँगर के प्लॉट संख्या-163/100/5 पर भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मथुरा द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (डीजल/पेट्रोल पम्प) के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.040988 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पालन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-2644/14-1(35033/2018), दिनांक 27.12.2018
महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

1. प्रस्ताव में खतौनी संलग्न नहीं की गयी है। अतः प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर खतौनी संलग्न करें।
2. प्रस्तावित वनभूमि का 1.50000 माप की टोपोसीट संलग्न है किन्तु उस पर शीर्षक अंकित नहीं है।
3. पृष्ठ सं0-40 पर संलग्न लीज अवधि सम्बन्धी प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होने के कारण प्रस्ताव से पृथक करें।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

11/1

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या-1387/11-सी-FP/UP/Others/35033/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मथुरा।
- 2- प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0, रिफाइनरी, मथुरा।

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा

पत्रांक 2883/141 आगरा, दिनांक 15/1/2019

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सा0 वा0 प्रभाग, मथुरा को इस विषय के लिए प्रेषित कि विषयगत प्रस्ताव में उक्त अभिलेखों के अभाव हेतु प्रस्ताव को 3 मूल प्रतियों उक्त कार्यालय से, 01 मूल प्रत उक्त कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से तत्काल प्राप्त कर उक्त आदेशों को निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव सम्बन्धित अभिलेखों सहित 4 मूल प्रतियों से उक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने का कल करें।



वन संरक्षक

आगरा वृत्त, आगरा

11/1